न्यायलय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज श्रीमती कमला ....बनाम.......... बिरजू कौ मु. नं.	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	दिनांक –14.05.2022 आज यह पत्रावली द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा में पेश हुई। वादीगण व प्रतिगण व उनके वकील उपस्थित आये। वादिया की ओर से यह वाद पत्र वाके ग्राम उकरूंद तहसील मण्डावर स्थित आराजी खसरा नम्बर 1109, 1111, 1113, 1115, 1116, 1117, 1118 कुल किता 7 रकबा 3.00 हैक्टयर के बाबत अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया है। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजीयात खातेदारों के मध्य हिस्सा व कब्जा को ध्यान में रखते हुये विभाजन करने पर अनापत्ति जाहिर करने के आधार पर वाद दिनांक 01–07–2021 को प्राथमिक रूप से डिक्री जारी कर तहसीलदार मंडावर को बटवारा कमीश्नर नियुक्त किया जाकर वादग्रस्त आराजी की विभाजन स्कीम प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये। साथ ही खातेदारों के हिस्सा व कब्जा एवं खातेदारों के हिस्सा की आराजी तक पहुचने के लिये रास्ता को ध्यान में रखते हुये विभाजन स्कीम प्रस्तुत करने के भी आदेश दिये गये। तहसीलदार मण्डावर के कार्यालय पत्रांक/भू.अ./2022/233 दिनांक 08.03.2022 के द्वारा विभाजन स्कीम प्रस्तुत हुई । उक्त विभाजन स्कीम पर वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा सहमति प्रस्तुत की गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार मण्डावर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव खातेदारों के हिस्सा अनुसार व कब्जानुसार है उभय पक्ष को भी प्रकरण को अंतिम रूप से डिक्री करने में कोई आपत्ति नहीं हे। विभाजन प्रस्ताव से भूमिधारक (तहसीलदार) मण्डावर भी सहमत है। ऐसी स्थिति में उभय पक्ष ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर सहमति जाहिर की। अतः वाद–पत्र अंतिम रूप से डिकि योग्य पाया जाता है।	

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
महवा (दौसा)

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
महवा (दौसा)

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

.........श्रीमती कमला.........बनाम.........बिरजू वगै.

तारीख हुक्म	

आदेश नं.

अतः वादीया का वाद बाबत ग्राम उकरूंद तहसील मण्डावर की आराजी खसरा नम्बर 1109, 1111, 1113, 1115, 1116, 1117, 1118 कुल किता 7 रकबा 3.00 हैक्टयर निम्न प्रकार से अंतिम रूप से डिकी किया जाता है।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा	किस्म	वि. वि.
1	कमला पत्नी जगराम जाति मीना सा.देह खातेदार	1115/2 1116 1117/1 1118/1	0.18 0.40 0.22 0.20	बारानी 1	
		किता 04	1.00		
	योग				
2	बिरजू पुत्र हरलाल जाति मीना सा. देह राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा महवा	1109 1117/2 1118/2 किता 03	0.42 0.28 0.30 1.00	बारानी 1	
3	श्रीराम पुत्र हरलाल जाति मीना सा. देह राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा महवा	1111 1113 1115/1 किता 03	0.39 0.39 0.22 1.00	बारानी 1	

पक्षकारान उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे प्रविष्ठियां करवाने के अधिकारी होगे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के हिस्सा में आयी आराजीयात के उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे। तदनुसार डिकी जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2022 को द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
महवा (दौसा)

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
महवा (दौसा)

नम्बर ... अहकाम ... हुक्म की ... में जारी हुए